न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 14 / 2017

प्रविष्टि दिनांकः— 15—09—2017

1. जगदीश पुत्र देवा जाति गुर्जर 2. भगवान पुत्र बजरंग लाल जाति गुर्जर
3. जगदीश पुत्र उद्दालाल जाति गुर्जर 4. कालू पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर
5. महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति माली निवासीयान ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

..... आवेदकगण

बनाम

1. लक्ष्मण शंकर पुत्र श्री किशन जाति जाट निवासी ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
3. तहसीलदार टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0। .....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन / श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक आवेदकगण
(2) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 05—04—2018

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सार इस प्रकार है कि भू—आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प भासू तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 11—01—2011 को अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण शंकर पुत्र श्री किशन जाति जाट निवासी ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 5244 / 1147 रकबा 0.20 हे0 वाके ग्राम भासू में से 0.15 हेक्टेयर भूमि का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है, उक्त आवंटन की पालना में प्रतिपक्षी सं0 1 के हक गैर खातेदारी का नामांतकरण सं0 1913 दिनांक 11.02.2013 खोला गया। उक्त खसरा नंबर में नये खसरा नंबर 5543 / 1147 रकबा 0.15 हैक्टेयर बनाय गये। जिसे आवेदकगण ने आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3— आवेदकगण द्वारा दस्तावेजात में प्रमाणित प्रतिलिपी मिसल आवण्टन 11.01.2011, जमाबन्दी संवत 2066—2069, खसरा गिरदावरी संवत 2054—2065, जमाबंदी संवत 2070—2073 वाके ग्राम भासू की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त आवंटन के समय राज्य सरकार द्वारा आवंटन के लिए कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई ना ही शासकीय राजपत्र में इस तरह की उद्वघोषणा अधिसूचित की गई, बिना इसके भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन के खसरा नंबर 1147 / 5244 पर अलाटी का कभी कब्जा नहीं रहा। जबकि मौके पर उक्त खसरा नंबर में प्रार्थीगण के बाडे बने हुये है, जिनमें प्रार्थीगण अपने पालतू पशुओं को बांधते है तथा अपने कृषि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

उपज जैसे ज्वार, बाजरे का चारा, रेवडी, बलीता व अन्य सामान रखने के उपयोग उपभोग मे लेते है, उक्त खसरा नंबर जिसके नये खसरा नंबर 5543/1147 रकबा 0.15 हैक्टेयर बनाये गये है पर विगत 20–25 वर्षो से जो बाडो के रूप में काम आ रहा है उस पर कोई काश्त नही हो रही है जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–2067 से साबित है। प्रतिपक्षी सं0 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है, उसके खाते में 40–50 बीघा जमीन पहले से ही उपलब्ध है तथा उक्त आवंटन पत्रावली में पटवारी की रिपोर्ट कालम नं0 6 में हल्का पटवारी ने साफ लिखा है कि अलाटी भूमिहीन नहीं है, प्रतिपक्षी सं0 2 द्वारा सन 2010–2011 में टोडारायसिंह तहसील के गांव में किये गये समस्त आवंटन संदेह के घेरे में है जिनमें जांच लम्बित है प्रतिपक्षी सं0 1 ने आवंटन के लिए आवंश्यक शर्तो का पालन नहीं किया क्योकि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आधी व द्वितीय वर्ष में पूरी जमीन पर काश्त करना अनिवार्य है। प्रतिपक्षी सं0 1 ने विपक्षी सं0 2व 3 से सांठ गांठ करके भ्रष्टाचार तरीका अपनाते हुए उक्त खसरा नम्बर का आवंटन अपने हक में कपटपूर्वक व मिथ्या वर्णन के आधार पर बिना किसी कब्जे के करवा लिया, उक्त खसरा नंबर गांव के आबादी के पास में स्थित है जिससे वहां कृषि कार्य होना वैसे भी सम्भव नहीं है। नक्शा शीट लटढा में भी आवंटित खसरा नंबर की तरमीम नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अलाटी को कभी कब्जा नहीं सौंपा गया। आवंटन आदेश पर पूरे कॉरम के हस्ताक्षर नहीं है केवल विपक्षी सं0 2 के हस्ताक्षर है, इन सभी तथ्यों से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01 की और से अपने जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यो के दोराने बहस कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन प्रतिपक्षी सं0 1 के हक में किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटन से काफी समय पूर्व से ही प्रतिपक्षी सं0 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा था, उसके द्वारा इस आवंटित भूमि में जुवार की फसल काश्त की थी जो खसरा गिरदारी सम्वत 2054 से सिद्व है, जिसके संबंध में धारा 91 राज.भू.रा. अधिनियम के तहत तत्कालीन तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई थी, आवंटित भूमि पर आवेदकगण के कोई बाडे व सामान वगै0 नहीं है, मौके पर आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक आवेदकगण का कोई कब्जा नहीं है। आवंटन की दिनांक को आवंटी भूमिहीन काश्तकार था, परिवार में आवंटी के हिस्से में 0.62 है. भूमि ही खातेदारी में थी, आवंटन की दिनांक को भूमिहीन काश्तकार की सीमा से ज्यादा भूमि नाम हो इसका कोई सबूत आवेदकगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में कब्जा काश्त करने के जो प्रावधान व शर्ते है वह अब लागू नहीं होती है। आवंटित भूमि सिवायचक व काबिल काश्त होने के कारण सही रूप से आवंटित की गई है, आवंटित भूमि के कुल रकबा 0.20 हे. में 0.15 हे. प्रतिपक्षी को आवंटित करने के बाद शेष बचे 0.05 हे. रकबे का नामांतकरण नं0 2466 दिनांक 25.04.2013 को भरा जाकर उक्त शेष रकबे को गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज किया गया है जिसका उल्लेख इस नंबर की जमाबंदी संवत 2066–67 में वर्णित किया गया है। आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस व शीट में अंकन आवंटन के तत्काल बाद कर दिया गया था जिसकी नकल आवंटन मिसल में उपलब्ध है और वर्तमान नक्शा ट्रेस व रिकार्ड में भी इसका इन्द्राज किया हुआ है। आवंटन पूर्ण कोरम द्वारा मजमेआम में विधिवत रूप से किया गया है आवेदकगण व अन्य लोगो द्वारा आवंटी की आवंटित भूमि के कब्जे काश्त में जबरन मजाहमत व मदाखलत करने की कोशिश की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इन्हे पाबंद कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। आवेदन गलत रूप से रंजिशवश पेश किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

6— हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू–आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प भासू तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 11–01–2011 को अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण शंकर पुत्र श्री किशन जाति जाट निवासी ग्राम भांसू तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 5244/1147 रकबा 0.20 हे0 वाके ग्राम भासू में से 0.15 हेक्टेयर भूमि का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है, आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर मौके पर उसके बाडे बने हुए है परन्तु वे इसे सिद्व करने में असफल रहे है, अपने कब्जे के संबंध में आवेदकगण ने जो जमाबन्दी पेश की गई है वह आवंटन के बाद की प्रस्तुत की है, आवंटन के समय या उससे पूर्व की नहीं। इसका तात्पर्य है कि आवंटन से पूर्व आवंटन के समय भूमि खाली व सिवायचक ही थी जो आवंटन योग्य थी। विपक्षी आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा इस संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है, आवंटन की दिनांक को भूमिहीन काश्तकार की सीमा से ज्यादा भूमि नाम हो इसका कोई सबूत आवेदकगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी सं0 1 को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 11–01–2011 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी। आवेदकगण बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद थे ओर यदि उन्है प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र थे लेकिन आवेदकगण ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सिद्व नहीं है। जहां तक उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। यदि आवेदकगण का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0